रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2007/फाल्गुन 15, 1928
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2007/PHALGUNA 15, 1928

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2007

का.आ. 323(अ).–केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची I का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची I संशोधन आदेश, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुसूची I कहा गया है), पैरा 1 से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"1क. सभी राज्यों द्वारा धारा 4 के अधीन अधिसूचित स्कीम को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' कहा जा सकेगा जो सुसंगत राज्य के नाम द्वारा अनुसरित होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित सभी दस्तावेजों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (रा.ग्रा.रो.गा. स्की.)" का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

3. अनुसूची I के पैरा 1 में, उप-पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध।"

[फा. सं. जे-11011/5/2006 (एन आर ई जी ए)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2007

S.O. 323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) and being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedule I of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule I of the Act, namely :—

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I Amendment Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (hereinafter referred to as Schedule I), before paragraph 1 the following paragraph shall be inserted, namely :—

"1 A. The scheme notified under Section 4 by all the States shall be called 'National Rural Employment Guarantee Scheme' followed by the name of the relevant State. All documents pertaining to National Rural Employment Guarantee Act must have mention of National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)".

3. In Schedule I, in paragraph 1, for sub-paragraph (iv), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(iv) Provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities on land owned by households belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or to Below Poverty Line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India."

[F. No. J-11011/5/2006 (NREGA)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2007

का.आ. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची II का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है अधिनियम की अनुसूची II में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची II संशोधन आदेश, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची II में, पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

"13. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।"

[फा. सं. जे-11011/5/2006 (एन आर ई जी ए)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2007

S.O. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedule II of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule II of the Act, namely :—

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule II Amendment Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005, for paragraph 13 the following paragraph shall be substituted, namely :—

"13. A new work under the scheme can be commenced if at least ten labourers become available for work."

[F. No. J-11011/5/2006 (NREGA)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.